झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — **चतुर्दश(शीतकालीन)सत्र**

संख्या-03 — **गुरुवार, दिनांक-27 दिसम्बर, 2018 ई०।**

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 6.14 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विपक्षी माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने श्री बिपिन कुमार दूबे, अंचलाधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा उनके साथ किये गये अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी व्यथा सुनाई जिसका समर्थन माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही, श्री प्रदीप यादव, श्री स्टीफेन मराण्डी एवं अन्य कतिपय सदस्यों ने भी किया जिसपर माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा आसन के माध्यम से सदन को अवगत कराया कि सम्बन्धित अंचलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से हुसैनाबाद से हटाते हुए जिला मुख्यालय में योगदान करा दिया गया है और उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, प्रतिवेदन मिलते ही उनके विरूद्ध ठोस कार्रवाई की जायेगी,

ii- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने राज्य में जनप्रतिनिधियों के साथ पदाधिकारियों द्वारा किये जा रहे दुर्व्यवहार पर दुःख प्रकट करते हुए गरिमा की रक्षा हेतु आसन से आग्रह किया,

iii- माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसन को अवगत कराया गया कि सदन के बाहर माननीय सदस्य, श्री नलिन सोरेन एवं श्री कुणाल षडंगी विभिन्न माँगों को लेकर धरने पर बैठे है तत्पश्चात् आसन के निदेश पर माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम एवं श्री अशोक कुमार द्वारा उन्हें ससम्मान सदन के अन्दर लाया गया,

iv- विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जनप्रतिनिधियों के गरिमा की रक्षा हेतु गुहार लगाये जाने पर आसन द्वारा सदन से आग्रह किया गया कि यदि सभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से चले, तो यह सदन किसी भी रोग का स्थायी ईलाज करने के लिए सक्षम है जो स्थायी भी होगा,

v- दिनांक-26.12.2018 को सदन में माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सदन में रखी गयी अपनी भावनाओं से सम्बन्धित कार्यवाही में अंकित तथ्यों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कर उसपर आपत्ति जताते हुए इसे स्पंज करने की माँग की जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने भी किया,

vi- उक्त परिपेक्ष्य में माननीय मंत्री, श्री सिंह ने "मौनम् स्वीकृति लक्षणम्" एवं "**Charity begins at home**" जैसी कहावतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को सदन में रखा

क्र०पृ०उ०

vi- तत्पश्चात् आसन द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष को सूचित किया गया कि चूँकि सदन नेता को सभा की कार्यवाही संशोधन के लिए उपलब्ध करायी जाती है, अतएव वे उसमें अपने मंतव्य के साथ उसे कार्यालय को वापस करें। (शोरगुल)

2.कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, सर्वश्री जगरनाथ महतो एवं अन्य, इरफान अंसारी एवं अन्य, राज कुमार यादव एवं अन्य, कुणाल षड़ंगी एवं अन्य तथा माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव से विभिन्न विषयों पर प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य कर दिया गया।

3.प्रश्नकाल :-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(I) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-25

(क) उत्तरित मात्र-01, अ० सू०-44, श्री अरुप चटर्जी, स० वि० स०।

(ख) **अनागत कुल-24,** अ० सू०-45 से अ० सू०-68 तक।

(इस अवसर पर कतिपय विपक्ष के माननीय सदस्य सदन की वेल मे आकर नारेबाजी करने लगे जिसके कारण अ०सू० के शेष प्रश्न तथा तारांकित प्रश्न नहीं लिये जा सके तत्पश्चात् अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.38 बजे पूर्वा० से लेकर 12.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।)

स्थगनोपरांत

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने 10+2 विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली में आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी सरकार द्वारा गठित **"बाउरी समिति"** की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया और वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराये जाने हेतु सरकार से माँग की जिसपर आसन के निदेश से माननीय मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी ने सदन को अवगत कराया कि समिति का प्रतिवेदन दे दिया गया है जो सरकार के पास लम्बित है। इस क्रम में माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल किया जाने लगा।

4.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- आसन से पुकारे जाने के उपरांत माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष-2016-17 का सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदया के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखा गया जो झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-238 के उपबंधानुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा तदुपरांत यह लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होगा। यह प्रस्ताव ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ,

ii- आसन से पुकारे जाने के उपरांत माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा- **THE LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT,1987** की कंडिका-18, उप कंडिका-6 के अनुपालन में झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची के **वित्तीय वर्ष-2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016** एवं

क्र०पृ०उ०

2016–2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी जो ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

5.सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:–

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी द्वारा सदाचार एवं विधायक निधि अनुश्रवण समिति का 13वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में कम्बल घोटाले, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बादल ने पारा शिक्षक, श्री शिवलाल सोरेन का 15 नवम्बर से गायब होने, श्री मनीष जायसवाल ने हजारीबाग जिले को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने, श्री कुणाल षड़ंगी ने सड़क का शिलान्यास किये जाने तथा माननीय सदस्य, श्री दीपक बिरूवा ने राज्य में हाथियों के आतंक की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

6.विधायी कार्य:–

i- माननीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा सभा की अनुमति से **''झारखण्ड चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण)''** विधेयक, 2017 की वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ और उक्त विधेयक वापस हुआ,

ii- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड– 02, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2018 ''**सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

iii- झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

क्र०पृ०उ०

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से खण्ड-14, खण्ड-1, अनुसूची, तथा प्रस्तावना बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव **Voting** द्वारा अस्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा सदन का परित्याग किया गया।)

iv- झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

माननीया प्रभारी मंत्री, श्रीमती नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से खण्ड-10, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ।

v- भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के धारा-04, धारा-01 से धारा-03, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ।

vi- झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

क्र०पृ०उ०

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **''झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2018''** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ।

7. गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें:-

निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा उनके नाम के सामने उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किये गये-

क्र.सं.	माननीय सदस्य का नाम	संकल्प के संक्षिप्त विषय
01	श्री मनीष जायसवाल	लोक अभियोजकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में
02	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना
03.	श्री कुणाल षड़ंगी	रेलवे लाईन बिछाना
04	श्री केदार हजरा	जमुआ प्रखण्ड को जिला का दर्जा देना
05	श्री जानकी प्रसाद यादव	हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखण्डों को सुखाग्रस्त घोषित करना
06	श्री अरुप चटर्जी	निरसा को अनुमण्डल का दर्जा देना
07	श्री अनन्त कुमार ओझा	तीन पहाड़ नगर पंचायत को स्थापित करना
08	श्री अशोक कुमार	महगामा प्रखण्ड के हनवारा एवं मेहरमा प्रखण्ड के बेलवड्डा को प्रखण्ड बनाना
09	श्री राधा कृष्ण किशोर	जर्जर सड़क का जीर्णोद्धार करना
10	श्री भानू प्रताप शाही	भवनाथपुर में सीमेंट प्लांट खोलना
11	श्री रबीन्द्रनाथ महतो	राज्य के पारा शिक्षकों का स्थायीकरण करना
12	श्री ढुलू महतो	धनबाद-चन्द्रपुरा रेलखण्ड को पुनः चालू करना
13	श्री जगरनाथ महतो	गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों को मिलाकर प्रखण्ड बनाना
14	श्री राम कुमार पाहन	पेयजल की व्यवस्था करना
15.	डॉ० इरफान अंसारी	जामताड़ा जिलान्तर्गत रूपनारायणपुर स्थित पथ का विस्तारीकरण एवं नदी में पुल का निर्माण करना
16	श्री राज कुमार यादव	गिरिडीह जिला के गांवा प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज की स्थापना करना
17	श्री नलिन सोरेन	दुमका जिलान्तर्गत शिकारीपाड़ा प्रखण्ड स्थित ब्राह्मणी नदी में गार्डवाल बनाया जाना
18	श्री प्रदीप यादव	संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करना
19	श्री अमित कुमार मण्डल	संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा,

क्र०पृ०उ०

		2016 में उत्तीर्ण शेष उम्मीदवारों की नियुक्ति करना
20	श्री बिरंची नारायण	बोकारो विधानसभा के दामोदर नदी में बने पेयजल आपूर्त्ति योजना को प्रारम्भ करना
21	श्री प्रकाश राम	लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना करना
22	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	गढ़वा जिलान्तर्गत शाहपुर-गढ़वा पथ में सड़क निर्माण करना
23.	श्री राज सिन्हा	धनबाद, गिरिडीह एवं बोकारो जिले को मिलाकर एक नये कमिश्नरी, धनबाद बनाया जाना
24	श्री नारायण दास	देवघर में कला शिल्प महाविद्यालय की स्थापना करना
25	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	कुशवाहा(कोईरी) जाति को एनेक्चर-1 में शामिल करना
26	श्री हरिकृष्ण सिंह	लातेहार जिलान्तर्गत ग्राम-हजुमाड़ के बीच ओरंगा नदी पर उच्चस्तरीय पुल बनाना

उपर्यक्त माननीय सदस्यों द्वारा बारी-बारी से अपने द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयी और सरकारी उत्तरोपरांत उनके द्वारा नियमानुसार इन्हें वापस लिया गया। माननीय सदस्य, श्री रबीन्द्रनाथ महतो द्वारा सूचना वापस नहीं लिये जाने की स्थिति में **Voice vote** से सूचना वापस हुई।

8. <u>समापन भाषण</u>:-

सत्रांत के सुअवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लिये गये सम्पूर्ण विषयों के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराते हुए चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के अन्तर्गत 28 दिसम्बर, 2014 को माननीय मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में वर्त्तमान मंत्रिमण्डल का गठन होने सम्बन्धी सदन को अवगत कराते हुए इनकी उपलब्धियों को भी गिनाया। सदन में आये व्यवधानों के बावजूद भी विधायी संस्थान के कार्यकरण सिद्ध होने की उन्होंने अपेक्षायें की और आनेवाले नव वर्ष-2019 के निमित्त सभी माननीय सदस्यों एवं राज्य की सवा तीन करोड़ जनता को शुभकामनायें दी गयी। सत्र के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, मीडियाकर्मियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सफलतापूर्वक कर्त्तव्य निर्वहन के निमित्त शुभकामनायें भी दी तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 27 दिसम्बर, 2018 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।